



UPLK010122462023

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सत्र वाद सं0 2849 / 2023

सरकार

बनाम

अनमोल यादव आदि

अ0सं0 193 / 2021

धारा-323,504,506 भा0द0सं0 तथा

धारा-3(1)द,ध, 3(2)5ए एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट,

थाना-इटौंजा, लखनऊ ।

26-05-2025

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्तगण अनमोल यादव व महेन्द्र कुमार मय अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हैं।

न्यायालय के समक्ष विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्तगण के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्त एहताराम के विरुद्ध धारा 323, 504, 506 भा0द0सं0 तथा धारा 3(1)द,ध, 3(2)5ए एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तदनुसार अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 17.07.2025 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ ।



UPLK010122462023

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सत्र वाद सं0 2849 / 2023

सरकार बनाम अनमोल यादव आदि

अ0सं0 193 / 2021

धारा-323,504,506 भा0द0सं0 तथा

धारा-3(1)द,ध, 3(2)5ए एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट,

थाना-इटौंजा, लखनऊ ।

आरोप

मैं, विवेकानन्द शरण त्रिपाठी, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्वारा आप अभियुक्तगण अनमोल यादव व महेन्द्र कुमार को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ:-

प्रथम: यह कि दिनांक 24.07.2021 व समय लगभग 03.00 बजे दिन थाना इटौंजा जिला लखनऊ सीमान्तर्गत ग्राम रायपुर में आप अभियुक्तगण अनमोल यादव व महेन्द्र कुमार द्वारा वादी मुकदमा सुरेन्द्र पासी को स्वेच्छया उपहति कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अन्तर्गत दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय: यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप आप अभियुक्तगण अनमोल यादव व महेन्द्र कुमार द्वारा वादी मुकदमा सुरेन्द्र पासी को भद्दी-भद्दी गालियां देकर साशय प्रकोपित किया कि वह लोकशान्ति भंग करें। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

तृतीय: यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण अनमोल यादव व महेन्द्र कुमार द्वारा वादी मुकदमा सुरेन्द्र पासी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ: यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण अनमोल यादव व महेन्द्र कुमार द्वारा वादी मुकदमा सुरेन्द्र पासी को अनुसूचित जाति का सदस्य जानते हुए लोकदृष्टि में आने वाले स्थान पर अपमानित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधि0 की धारा-3(1)द के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

पंचम: यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण अनमोल यादव व महेन्द्र कुमार द्वारा वादी मुकदमा सुरेन्द्र पासी जो कि अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, को जाति के नाम से गालियां दी। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधि० की धारा-3(1) के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

षष्ठम: यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण अनमोल यादव व महेन्द्र कुमार द्वारा वादी मुकदमा सुरेन्द्र पासी के प्रति उपरोक्त आपराधिक कृत्य कारित किया। इस प्रकार आप ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम धारा-3(2) **va** के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक: 26-05-2025

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
विशेष न्यायाधीश एस०सी०-एस०टी० ऐक्ट,
लखनऊ।
जेओ कोड-यूपी06127

अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

दिनांक: 26-05-2025

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
विशेष न्यायाधीश एस०सी०-एस०टी० ऐक्ट,
लखनऊ।
जेओ कोड-यूपी06127



UPLK010215192023

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सत्र वाद सं0 3633 / 2023

सरकार

बनाम

एहतराम आदि

अ0सं0 278 / 2023

धारा-323,506,504,308 भा0द0सं0 तथा

धारा-3(1)द,ध, 3(2)5ए एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट,

थाना-गोसाईंगंज, लखनऊ ।

आरोप

मैं, विवेकानन्द शरण त्रिपाठी, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्वारा आप अभियुक्त ताशिल उर्फ वासिफ को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ:-

प्रथम: यह कि दिनांक 03.07.2023 व समय 03.30 बजे दिन थाना गोसाईंगंज जिला लखनऊ सीमान्तर्गत रसूलपुर टिकनियामउ पर पर आप अभियुक्त ताशिल उर्फ वासिफ द्वारा अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा राजकरन, राकेश, मो0 हासिम, मो0 तनवीर को स्वेच्छया उपहति कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अन्तर्गत दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय: यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त ताशिल उर्फ वासिफ द्वारा अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा राजकरन, राकेश, मो0 हासिम, मो0 तनवीर को भद्दी-भद्दी गालियां देकर साशय प्रकोपित किया कि वह लोकशान्ति भंग करें। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

तृतीय: यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त ताशिल उर्फ वासिफ द्वारा अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा राजकरन, राकेश, मो0 हासिम, मो0 तनवीर को को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ: यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त ताशिल उर्फ वासिफ द्वारा अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा राजकरन को अनुसूचित जाति का सदस्य जानते हुए लोकदृष्टि में आने वाले स्थान पर अपमानित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधि0 की

धारा-3(1)द के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

पंचम: यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त ताशिल उर्फ वासिफ द्वारा अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा राजकरन जो कि अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, को जाति के नाम से गालियां दी। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधि० की धारा-3(1)ध के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

षष्ठम: यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त ताशिल उर्फ वासिफ द्वारा अन्य सहअभियुक्त द्वारा अनुसूचित जाति के वादी मुकदमा राजकरन के प्रति उपरोक्त आपराधिक कृत्य कारित किया। इस प्रकार आप ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम धारा-3(2)va के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक: 30-04-2025

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
विशेष न्यायाधीश एस०सी०-एस०टी० ऐक्ट,
लखनऊ।
जेओ कोड-यूपी०६१२७

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

दिनांक: 30-04-2025

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
विशेष न्यायाधीश एस०सी०-एस०टी० ऐक्ट,
लखनऊ।
जेओ कोड-यूपी०६१२७